khusro foundation

हज गाइड

अहमद जावेद

हज गाइड

प्रस्तावना

अहमद जावेद

प्रकाशक

ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन

D-319, डिफ़ेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110024

Mob: 93184-31341

© All Rights Reserved
ISBN: 978-81-97158-52-0

नाम किताब	:	हज गाइड
मुरत्तब	:	अहमद जावेद
कम्पोजिंग	:	परवेज़ अहमद
प्रकाशन का वर्ष	:	2025
संस्करण	:	2
तादाद	:	5000
हदिया	:	दुआ ए ख़ैर
नाशिर	:	ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन डी-319, डिफ़ेन्स कॉलोनी, नई दिल्ली 110024 Mob: 93184-31341
डिज़ाइन / प्रिंटिंग	:	क्रिएटिव स्टार पब्लिकेशन्स

Printed by

CREATIVE STAR PUBLICATIONS

Printer, Publisher & Distributors

Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi-110020 (India)

+91 8851148278 I w +91 9958380431

फ़ेहरिस्त

परिचय	डॉ. हफ़ीज़ुर्रहमान	05
प्रस्तावना	अहमद जावेद	12
हज और उसका पैग़ाम	मोहम्मद अली शाह शोएब	18
मनासिक-ए-हज	डॉ. मुहम्मद ताहिरुल क़ादरी (तर्तीब व तल्ख़ीस: मुफ़्ती रहमत अली मिस्बाही)	24
उमरा व ज़ियारत का तरीक़ा	सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी (तर्तीब व तलख़ीस: डॉ. हफ़ीज़ुर्रहमान)	51
हिदायात बराए हज	बशुक्रिया सेन्ट्रल हज कमेटी वेबसइट	81
नज़्म व ज़ब्त (प्रबंधन)	ग़ुलाम मुहीउद्दीन बट	110

हज की फ़र्ज़ीयत

व’लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल-बैति मनिस्तताआ इलैहि सबीला, व-मन क’फ़’र फ़इन्नल्ला’ह ग़नीयुन अनिल-आ’लमीन। (आल-इमरान:97)

“लोगों पर अल्लाह का यह हक़ है कि जो उसके घर तक पहुंचने की इस्तिताअत रखता हो उसका हज करे। और जिसने इंकार किया तो अल्लाह तआला जहाँ वालों से बे-नियाज़ है। ”

परिचय

ज़ायरीन-ए-हज,

हम ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन की तरफ़ से आपको इस फ़रीज़े की अदायगी के लिए दिली मुबारकबाद पेश करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करते हैं कि अल्लाह आपके हज को क़ुबूल फ़रमाए और आपके इस मुबारक सफ़र में आने वाली मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन

याद रखिए कि आप उन ख़ुश-नसीबों में से हैं जिनको अल्लाह ने इस साल अपने घर की ज़ियारत के लिए चुना है इसलिए आप अपनी क़िस्मत पर जितना फ़ख़्र करें, कम है।

हज एक ऐसी इबादत है जो हर आक़िल व बालिग़, साहिबे निसाब और सेहतमंद मर्द व औरत पर ज़िंदगी में सिर्फ़ एक बार फ़र्ज़ है और इस इबादत का मक़सद सफ़र के दौरान होने वाली हर मुश्किल को अल्लाह की मर्ज़ी समझ कर ख़ुशी-ख़शी क़ुबूल करना, हर परेशानी में सब्र से काम लेना, अपने अख़लाक़ व किरदार से अपने हमसफ़र साथियों और दूसरे देश से आने वाले हाजियों को मुतअस्सिर करना, इबादत के वक़्त अपनी दुआओं में अपने ख़ानदान, दोस्त, आलम-ए-इंसानियत और अपने वतन-ए-अज़ीज़ को याद रखना, अपने पूरे हज के सफ़र के दौरान हुस्न-ए-अख़्लाक़ की ऐसी मिसाल क़ायम करना कि जो लोग भी आपके राब्ते में आएँ वह आपको और आपके मुल्क को याद रखें।

हज ज़ात-पात, बड़े-छोटे और ऊँच-नीच के फ़र्क़ को ख़त्म कर देने वाली इबादत है। नमाज़ की सफ़बंदी की

तरह हज के दौरान भी एहराम की हालत में तमाम दुनिया के हाजी एक ही लिबास में नज़र आते हैं जिसको देख कर अल्लाह के रसूल (सल्ल.) के हज्जतुल-विदा (आख़िरी हज) के मौक़े पर दिए गए ख़ुत्बे के वह तारीख़ी अल्फ़ाज़ याद आते हैं कि "आज अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया।" जिसमें आगे कहा गया है कि किसी अरबी को अज्मी पर, किसी गोरे को काले पर कोई फ़ज़ीलत नहीं मगर जिसका किरदार अच्छा होगा वह भलाई का हक़दार है। इन्ना अकरम-कुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम यानी तुम में से वह अल्लाह के नज़दीक प्यारा है जो तक़वा वाला है।

लिहाज़ा हज के इस मुबारक सफ़र में हमें एक ऐसा आला अख़्लाक़ व किरदार का ऐसा नमूना पेश करना

चाहिए जो अल्लाह और उसके रसूल (सल्ल.) के फ़रमान के मुताबिक़ हो।

याद रखिए कि इस मुबारक सफ़र में जहाँ हर हर क़दम पर आप नेकी और अज्र व सवाब के मुस्तहिक़ रहेंगे वहीं किसी भी मुश्किल में ग़ुस्सा, झगड़ा, बद-अख़लाक़ी और बद-तहज़ीबी आपके आमाल को बर्बाद भी कर सकती है। चाहे वह मुश्किल आपको जहाज़ के सफ़र में आए या मक्का और मदीना, मिना व अराफ़ात में क़याम के दौरान, आपको हर हालत में सब्र व शुक्र का मुज़ाहिरा करना है ताकि अल्लाह आपको हर मुश्किल के बदले नेकियों का ख़ज़ाना अता फ़रमा दे।

हम उम्मीद करते हैं कि यह किताबचा हज के सफ़र के दौरान आपकी बेहतरीन रहनुमाई करेगा। इस किताबचे के अंदर मुकम्मल मनासिक-ए-हज को तरतीब से पेश

किया गया है। आपके घर से रवानगी के बाद वापस घर आने तक हज कमेटी ऑफ़ इंडिया, भारत सरकार और सऊदी अरब में क़याम और हज की अदायगी के लिए जो सऊदी अरब की गाइडलाइन्स हैं उनका भी ज़िक्र किया गया है।

हम शुक्रगुज़ार हैं मोहतरम जनाब अहमद जावेद साहब, रिटायर्ड आईपीएस और सऊदी अरब में भारत के पूर्व राजदूत के जिन्होंने इस किताबचे को तरतीब देकर भारत के हाजियों की रहनुमाई के लिए सामान फ़राहम किया है। अहमद जावेद साहब एक लम्बे समय तक सऊदी अरब में भारत के राजदूत रहते हुए हज और उमरा के इंतिज़ामात और भारतीय हाजियों की परेशानियों को क़रीब से देख चुके हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं जनाब मोहम्मद अली शाह शोएब, मुफ़्ती

रहमत अली मिस्बाही और डॉ. ग़ुलाम मुहीउद्दीन बट का जिन्होंने इस किताब में अपना योगदान दिया है।

हमें यक़ीन है कि आप इन गाइडलाइंस पर भी अमल करेंगे और बहुत अच्छे तरीक़े से हज अदा करके अपना और अपने मुल्क का नाम रौशन करेंगे और ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन और उसके ज़िम्मेदारों को अपनी दुआओं में याद रखेंगे।

डॉ. हफ़ीज़ुर्रहमान
संयोजक,
ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۝

तुम में अल्लाह के नज़दीक वह प्यारा है जो तक़वा वाला है। (क़ुरआन)

لا فرق بين عربي وأعجمي ولا أبيض وأسود إلا بالتقوى۔

अरबी ओर उज्मी के बीच और गोरे और काले के बीच कोई फ़र्क़ नहीं है सिवाए तक़वा के। (हदीस)

الخلق عيال الله ۝

तमाम मख़लूक़ अल्लाह का कुनबा हैं। (हदीस)

प्रस्तावना

हज एक ऐसा अमल है जो आपकी रूह को पाकीज़ा करके आपके किरदार को बेहतर बनाता और सँवारता है। हज को ख़ालिस नीयत और मक़सद की समझ के साथ किया जाए ताकि आपका हज क़ुबूल हो।

हमें ख़ुशी है कि अल्लाह ने आपको इस मुक़द्दस सफ़र के लिये चुना है। इस मुबारक मौक़े पर आपके हाथों में इस किताबचे को पहुँचा कर हमें बड़ी ख़ुशी हो रही है। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपके इस मुबारक सफ़र को आसान बनाए और क़ुबूल फ़रमाए।

एक हदीस के मुताबिक़ (कोई भी) सफ़र अज़ाब की एक शक्ल होती है। यानी चाहे कितनी ही सहूलतें क्यों

न हों मगर फिर भी सफ़र में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। लिहाज़ा इस सफ़र के दौरान भी आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, चाहे वो सेहत का, या हवाई सफ़र का, या फिर दौराने-हज इन्तज़ामिया का या फिर अपने आस-पास के मुसाफ़िर की तरफ़ से हों। हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो भी मुश्किलात और परेशानियाँ आएंगी, उन पर आप सब्र और इंसानियत से काम लेंगे और इस बात का ख़्याल रखेंगे कि आपके किसी भी अमल से किसी को कोई तकलीफ़ न पहुँचे। आपके दिल में हर पल अपने क़रीबी साथी के आराम का ख़्याल हो।

हज चूँकि एक आलमगीर इज्तिमा है इस लिहाज़ से अल्लाह के उस पाक घर में दुनिया भर के मुसलमान आते हैं और अपने-अपने मुल्क की नुमाइन्दगी करते हैं। लिहाज़ा हम उम्मीद करते हैं कि तमाम लोगों के

साथ आपका बर्ताव बहुत-ही नर्म और प्यार भरा होगा और लोगों की ख़िदमत करके आप उनका दिल जीत रहे होंगे। हम ये उम्मीद करते हैं कि जब आप हज करके लौटेंगे तो अपने समाज को एक पुर-अम्न समाज बनाने का पुख़्ता इरादा दिल में लेकर लौटेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि हज के दौरान आप अल्लाह से अपने मुल्क की सलामती के लिये दुआ करेंगे।

इस छोटी सी पुस्तक में उन ज़रूरी बातों को शामिल किया गया है जो पूरे हज के सफ़र में आप के काम आएँ।

हम अपनी तरफ़ से ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन और उसकी पूरी टीम को इस कार-ए-ख़ैर के लिए मुबारकबाद देते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं जिनके तआवुन से बहुत कम वक़्त में इस किताबचे को मुकम्मल किया जा सका।

हम उम्मीद करते हैं कि इस किताबचे में बयान की गई तमाम बातों का आप ख़्याल रखेंगे और हज के इस मुक़द्दस अमल से अपनी ज़िंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने और आख़िरत के लिए बेहतरीन अज्र हासिल करने की कोशिश करेंगे।

अहमद जावेद

पूर्व राजदूत

मौलाना जलालुद्दीन रूमी का क़ौल

माँ-बाप के साथ आपका सुलूक ऐसी कहानी है जो लिखते आप हैं लेकिन आपकी औलाद आपको पढ़ कर सुनाती है।

अगर मेरा इल्म मुझे इंसान से मोहब्बत करना नहीं सिखाता तो एक जाहिल मुझसे लाख दर्जे बेहतर है।

अमीर ख़ुसरो का क़ौल

“स्वयं आसमान ने इस बात कि पुष्टि की है कि धरती के सभी देशों में भारत सर्वश्रेष्ठ है.”

हज और उसका पैग़ाम

मोहम्मद अली शाह शोएब

अल-हम्दुलिल्लाह! हज के इस फ़र्ज़ को मुसलमान चौदह सौ सालों से लगातार करते चले आ रहे हैं। हर साल हज करने वालों की तादाद में इज़ाफ़ा ही होता चला जा रहा है। हक़ीक़त ये है कि जिस तरह नमाज़, रोज़ा और दूसरी इबादात एक मक़सद रखती हैं उसी तरह हज भी एक आफ़ाक़ी मक़सद और इंक़िलाबी पैग़ाम रखता है। अगर हज को जाने वाले मुसलमानों की एक चौथाई तादाद भी उस मक़सद और पैग़ाम को समझें और उस साँचे में अपने आपको ढालने की कोशिश करें तो यक़ीन जानिये मुसलमानों की जो इस वक़्त सूरते-हाल है वो न सिर्फ़ बेहतर होगी बल्कि वो

दुनिया की सबसे ज़्यादा मुहज़्ज़ब और तरक़्क़ी-याफ़्ता क़ौम बन जाएगी। और इस तरह ये उम्मत अपने खोए हुए मक़ाम और मर्तबे को हासिल कर पाएगी।

हज के लुग़वी और इस्तिलाही माना

हज के लुग़वी माना (शाब्दिक अर्थ) हैं "किसी बा-अज़मत चीज़ का इरादा करना" इस्लामी इस्तिलाह (Terminology) के मुताबिक़ हज का मतलब होता है "इज़्ज़त और अज़मत वाले अल्लाह के पाक घर काबा की ज़ियारत का इरादा करना।" यानी ख़ालिस और यकसू होकर अल्लाह की इबादत करने, उसकी इताअत पर कमर-बस्ता होने का इरादा करने और उस महबूब अल्लाह के क़रीब व नज़दीक हो कर उसकी ख़ुशनूदी हासिल करने के लिये उसके घर ख़ाना-ए-काबा की ज़ियारत और तवाफ़ करने का इरादा करना।

हज के इस मतलब को ज़ेहन में रखकर सोचिये कि जब हम किसी चीज़ का इरादा करते हैं तो उसके लिये तैयारी भी करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम किसी मुल्क के सरबराह या बादशाह से मिलने जाने का इरादा करते हैं तो उसकी ख़ूब तैयारी करते हैं। बादशाह के दरबार में जाने के आदाब सीखते हैं, हाथ मिलाने और बात करने तक का सलीक़ा सीखते हैं।

ज़रा सोचें कि अज़मत वाले अल्लाह के पाक घर की ज़ियारत का अगर कोई इरादा (हज) करे तो क्या उसे ऐसे ही उठकर चल देना चाहिये? क्या उसे अल्लाह के दरबार में हाज़िरी के मक़सद को, आदाब और सलीक़े को और वहाँ पर होने वाली हर एक्टिविटी के मक़सद को अच्छे से समझ और सीख नहीं लेना चाहिये?

आइये इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हज से हमें क्या पैग़ाम मिलता है? हज से आने के बाद

एक मोमिन के अन्दर क्या-क्या नज़रियाती और अमली तब्दीलियाँ नुमायाँ नज़र आनी चाहियें।

इस पाकीज़ा फ़र्ज़ को अदा करने का इरादा करते ही इन्सान को पुख़्ता इरादा कर लेना चाहिये कि अब उसकी ज़िन्दगी अल्लाह के रंग में रंगी होगी। अब वो ज़ुल्म और गुनाह के रास्ते को मुकम्मल तौर पर छोड़कर माफ़ी और दरगुज़र को अपनी आदत बनाएगा। इसीलिये इस सफ़र पर जाने से पहले अपने-आपको हर तरह के गुनाह से पाक और हर तरह की देनदारी से आज़ाद करा लेना चाहिये। अहद कर लेना चाहिये कि अब उसकी ज़िन्दगी मुकम्मल तौर पर उसके रब की रज़ा के लिये और ज़मीन पर उसके बन्दों की ख़िदमत के लिये वक़्फ़ होगी जिससे ज़मीन पर अम्न-व सलामती को क़ायम करने में मदद मिले ताकि

हम अपने देश और समाज की तरक़्क़ी में अपना रोल अदा कर सकें।

इस इरादे को दिल में पक्का कर लेने के बाद अब उसको चाहिये कि ज़ेहन में झुँझलाहट, ग़ुस्सा, एक-दूसरे से आगे बढ़ जाने की होड़ में ग़लत रास्ता इख़्तियार करने से इस क़द्र परहेज़ करे कि ये ख़सलतें इस तरह कम से कमतर होती चली जाएँ कि जब वो इस फ़रीज़े की अदायगी से फ़ारिग़ होकर घर लौटे तो ये ख़सलतें इस तरह ख़त्म हो गई हों जैसे किसी मासूम बच्चे ने दुनिया में अभी-अभी क़दम रखा हो। अब उससे कोई शख़्स धोखेबाज़ी और ज़ुल्म की, गुनाह और ज़्यादती की उम्मीद भी न कर सकता हो।

हज मुसलमानों का एक आलमी इज्तिमा है, जो मुसलमानों को ये पैग़ाम देता है कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जिसे दुनिया में अच्छाई को फैलाने और

बुराई से रोकने के लिए भेजा गया है। लिहाज़ा यह फ़र्ज़ मुसलमानों को इस बात की याद दिलाता है कि दुनिया के इंसानों को यह पैग़ाम दिया जाए कि “अल-ख़लक़ु अयालुल्लाह” यानी सारा संसार एक ही परिवार है, इन्सान होने की हैसियत से तमाम इन्सान बराबर हैं, किसी भी इन्सान को ये हक़ हरगिज़ हासिल नहीं है कि वो अपने ही जैसे इन्सानों को अपना ग़ुलाम बनाए या उन पर ज़ुल्म करे।

इस हज की अदायगी के दौरान जो भी अरकान आप अदा करें उन सब अरकान को इस तरह अदा करें कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली आ जाए कि आपका किरदार व अमल पूरी दुनियाए इंसानियत के लिए एक मिसाल बज जाए।

मनासिक-ए-हज

(हज के अरकान)

डॉ. मुहम्मद ताहिरुल क़ादरी

तर्तीब व तल्ख़ीस

मुफ़्ती रहमत अली मिस्बाही

आठ ज़िल-हिज्जा की सुबह से हज का आग़ाज़ होता है जो कि 12 ज़िल-हिज्जा तक रहता है। हज के ये पाँच दिन (अय्याम-ए-हज) सारे सफ़र का हासिल होते हैं। इन मुक़द्दस अय्याम की तफ़्सीलात कुछ इस तरह हैं:

हज के पाँच दिनों के प्रोग्राम की तर्तीबः

1. यौमुत्तलविया (हज का पहला दिन...8 ज़िल-हिज्जा)

i. **ग़ुस्ल और एहरामः** इस रोज़ आप सुबह सवेरे उठने की कोशिश करें। उठते ही सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक ग़ुस्ल करें और अगर ग़ुस्ल ना हो सके तो फिर वज़ू ही कर लें। इसी ग़ुस्ल या वज़ू में एहराम की नीयत भी कर लें। इसके बाद मसनून तरीक़े से एहराम बाँध कर दो रकात नफ़िल अदा करें। जब नमाज़-ए-फ़ज्र का वक़्त हो जाए तो कोशिश करें की नमाज मस्जिद-ए-हराम में अदा हो जाए और वहीं बैठकर हज की नियत भी कर लें।

ii. **हज की नीयत:** "ऐ अल्लाह! मैं हज की नीयत करता हूँ, बस इसको मेरे लिए आसान फ़रमा, मेरे हज को क़बूल फ़रमा, इसमें मेरी मदद फ़रमा और इसमें मेरे लिए ख़ैर व बरकत फ़रमा, मैंने हज की नीयत और अल्लाह की रज़ा के लिए अहराम बाँधा।"

iii. **तल्बियह:** हज की नीयत करने के फ़ौरन बाद ज़रा बुलंद आवाज़ से तल्बियह कहें। ''लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैक .. लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक .. इन्नल-हम्दा वन्ने-मता लका वल-मुल्क, ला शरी-क लक'' मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूँ .. मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक (साझी) नहीं, मैं हाज़िर हूँ .. बेशक हर तरह की तारीफ़ें, सभी नेअमतें, और मुल्क भी तेरा ही है। तेरा कोई शरीक नहीं।

iv. **तवाफ़-ए-क़ुदूमः** मिना को रवाना होने से पहले तवाफ़-ए-क़ुदूम (आने का तवाफ़) करें।

v. **मिना को रवानगीः** तवाफ़-ए-क़ुदूम के बाद मिना को रवाना हो जाएँ। मिना का मक़ाम वादी-ए-मक्का से तक़रीबन 3 किलोमीटर दूर है। मिना की तरफ़ जाते हुए रास्ते में तल्बियह व अज़कार और इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा से पढ़ते रहें और नबी (सल्ल.) पर दरूद भेजते रहें। मिना में आप ज़ोहर, असर, मग़रिब, इशा और 9 ज़िल-हिज्जा की नमाज़-ए-फ़ज्र अदा करेंगे। मिना में रात का क़ियाम सुन्नत है और बेहतर है कि रात को भी तल्बियह, इस्तिग़फ़ार और दीगर दुआएँ पढ़ते रहें। अगर किसी वजह से मिना पहुँचने में देरी हो जाए या मिना न पहुँच

सकें तो कोई दम वग़ैरा लाज़िम नहीं, लेकिन जानबूझ कर ऐसा न करें।

vi. **वादी-ए-मिना की दुआ:** अरफ़ा की शब वादी-ए-मिना में यह दुआ करनी चाहिए: "पाक है वह ज़ात जिसका अर्श आसमान में है, पाक है वह ज़ात जिसका ठिकाना ज़मीन में

है। पाक है वह ज़ात जिसका रास्ता समंदर में है। पाक है वह ज़ात जिसकी हुकमरानी आग पर है। पाक है वह ज़ात जिसकी रहमत जन्नत में है। पाक है वह ज़ात जिसका हुक्म क़ब्र में ज़ाहिर है। पाक है वह ज़ात जिसका हुक्म हवा पर है। पाक है वह ज़ात जिसने आसमान को बुलंद किया। पाक है वह ज़ात जिसने ज़मीन को बिछाया। पाक है वह ज़ात जिसके सिवा न कोई सहारा है और न कोई जा-ए-पनाह (पनाह की जगह) है।

2. यौमे-अरफ़ा (हज का दूसरा दिन...9 ज़िल-हिज्जा)

3. हज का दूसरा दिन दूसरे दिनों के हिसाब से बहुत अहम होता है। यह मग़फ़िरत का दिन है जिसे यौमे-अरफ़ा भी कहते हैं। इसी दिन हज

का सबसे बड़ा रुक्न वुक़ूफ़-ए-अराफ़ात अदा किया जाता है।

i. सुबह मुस्तहब वक़्त में नमाज़ पढ़ कर सूरज तुलूअ होने पर अराफ़ात की तरफ रवाना हो जाएँ। रास्ते में अल्लाह का ज़िक्र, दरूद और लब्बैक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें और की तरफ़ रवानगी के वक़्त यह दुआ माँगें। "इलाही मैंने तेरी तरफ़ रुख़ फेरा और तुझी पर भरोसा किया और तेरी तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे गुनाहों को माफ़ फ़रमा और मेरे हज को क़बूल फ़रमा, मुझ पर रहम फ़रमा और महरूम वापस न कर, मेरे सफ़र में बरकत अता कर और अराफ़ात में मेरी हाजत पूरी कर, तू हर चीज़ पर क़ुदरत वाला है।

ii. अराफ़ात में दाख़िल होने की दुआ: अराफ़ात के मैदान में दाख़िल होते वक़्त अल्लाह तआला की तस्बीह बयान करें और ज़बान से यह अल्फ़ाज़ अदा करें: "सुब्हानल्लाहि वल-हम्दुलिल्लाहि वला इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर" *पाक है अल्लाह की ज़ात और सब तारीफ़ उसी के लिए है और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह*

सबसे बड़ा है। आप जब अराफ़ात में दाख़िल हो जाएँ तो जबल-ए-रहमत के पास या जहाँ जगह मिले रास्ते से बच कर उतरें और दोपहर तक ज़्यादा वक़्त सदक़ा व ख़ैरात और ज़िक्र व लब्बैक में मशग़ूल रहें।

iii. वुक़ूफ़-ए-अराफ़ात की दुआ: दोपहर ढ़लते ही कोशिश करें कि मस्जिद-ए-नमरा जाएँ और ज़ोहर, असर की नमाज़ एक साथ मस्जिद-ए-नमरा में ही अदा करें और नमाज़ पढ़ते ही मौक़ुफ़ रवाना हो जाएँ वह ख़ास नुज़ूल-ए-रहमत की जगह है। यहाँ खड़े होकर या बैठकर जैसे हो सके दुआ करें। अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाए हुए तकबीर, हम्द, ज़िक्र, दुआ और तौबा में डूब जाएँ क्योंकि यह वुक़ूफ़ ही हज की जान और उसका बड़ा रुक्न है। (यही वह मक़ाम है जहाँ हज के दौरान अल्लाह के रसूल (सल्ल.) ने अपनी उम्मत के लिए दुआ की थी।)

लिहाज़ा नबी (सल्ल.) पर दरूद भेजें। अपने वालिदैन, अज़ीज़ व अक़ारिब, अपने वतन और दोस्त अहबाब के लिए दुआ करें।

iv. मुज़दलिफ़ा को रवानगी और क़ियाम-ए-शब: जब सूरज ढ़लने का यक़ीन हो जाए तो फ़ौरन मुज़दलिफ़ा (अराफ़ात और मिना के बीच का मैदान) की तरफ़ रवानो हों लेकिन इमाम से पहले अराफ़ात से न निकलें। रास्ते में ज़िक्र व अज़कार, दुरूद व दुआ और लब्बैक में मसरूफ़ रहें. मुज़दलिफ़ा की तरफ़ जाते हुए रास्ते में यह दुआ पढ़ें: "ऐ अल्लाह! मैं तेरी तरफ़ हाज़िर हुआ, मैं तेरे अज़ाब से ख़ौफ़ज़दा हूँ और तेरी तरफ़ लौट के आता हूँ और तेरे ग़ज़ब से डरता हूँ। या अल्लाह तू मेरे हज को क़ुबूल कर और इसके बाद सवाब-ए-अज़ीम इनायत फ़रमा, मेरी तौबा क़ुबूल कर, मुझ पर रहम कर और मेरी दुआ

क़ुबूल कर। जब आप मुज़दलिफ़ा के मैदान में पहुँचेंगे तो इस मैदान के आख़िरी हद पर आपको एक पहाड़ नज़र आएगा जिसे मशअर-ए-हराम कहते हैं। कोशिश करें कि मशअर-ए-हराम के पास ठहरें या फिर मुज़दलिफ़ा की हुदूद में जहाँ जगह मिल जाए, ठहर जाएँ। यहाँ पहुँच कर मग़रिब और इशा की नमाज़ इमाम के साथ पढ़ें। इसके बाद मग़रिब व इशा की सुन्नतें और वित्र अदा करें। मुज़दलिफ़ा में तमाम रात जागना अफ़ज़ल है। रात भर नमाज़, तिलावत, दुआएँ करते रहना चाहिए। इस मौक़े पर यह दुआ भी पढ़ें: **अल्लाहुम-म इन्नी असअलु-क अन तरज़ुक़नी फ़ी हाज़ल-मकानी जवामिअल ख़ैरि कुल्लिहि व अन-तसरु-फ़ अलस्सूइ कुल्लहू फ़इन्नहू ला-यफ़अल ज़ालि-क ग़ैरु-क वला यजूदु बिहि इल्ला अन-त।** *"ऐ अल्लाह! मैं तुझ*

से सवाल करता हूँ कि तू मुझे नेकियाँ अता कर, मुझ से बुराईयों को दूर कर और बेशक यह काम तेरे सिवा कोई और नहीं कर सकता और न ही तेरे सिवा कोई बख़शने वाला है।"

4. यौमे-नहर (हज का तीसरा दिन...10 ज़िल-हिज्जा)

हज के तीसरे रोज़ ईदुल-अज़्हा होती है मगर हाजियों की मसरूफ़ियात और इस रोज़ के मनासिक-ए-हज की अहमियत की वजह से हाजी नमाज़-ए-ईद से आज़ाद होते हैं। इस रोज़ के प्रोग्राम कुछ यूँ है:

i. वक़ूफ़-ए-मुज़दलिफ़ा: 10 ज़िल-हिज्जा को फ़ज्र के बाद सूरज के निकलने तक मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ (क़ियाम) लाज़िमी है। मुज़दलिफ़ा क़ियाम के वक़्त सुबह की नमाज़ के बाद यह दुआ माँगनी चाहिए:

अल्लाहुम-म ब-ल-ग़ रू-ह मुहम्मदिन मिन्नन-नहीय-त वस्सलामु वद-ख़िलना दारुस्सलामु या ज़ुल-जिलालि वल-इकराम "ऐ अल्लाह! हमारी तरफ़ से रूह-ए-मुहम्मद (सल्ल.) को हमारा दरूद व सलाम पहुँचा। ऐ साहिब-ए-जलाल व इकराम! हमें सलामती के घर में दाख़िल फ़रमा।"

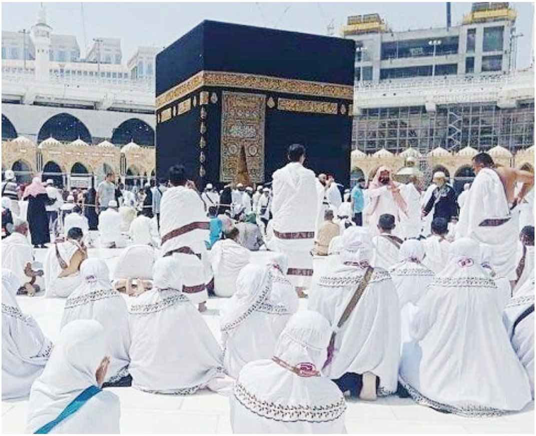

ii. मिना की तरफ़ रवानगी: जब सूरज के निकलने में दो रकात नमाज़ पढ़ने का वक़्त रह जाए तो मुज़दलिफ़ा से मिना की तरफ़ रवाना होना चाहिए। मिना में रमी के लिए कंकरियाँ मुज़दलिफ़ा ही से उठा लेनी चाहिए। कोशिश करें की तक़रीबन 70 कंकरियाँ तीनों दिनों के लिए अपने पास महफ़ूज़ कर लें ताकि वहाँ कोई परेशानी न हो। मुज़दलिफ़ा से रवाना होते वक़्त वादी-ए-महशर से न गुज़रें, यह मुज़दलिफ़ा से ख़ारिज है। अगर मजबूरन इस वादी से गुज़रना ही पड़े तो दौड़ कर गुज़र जाएँ क्योंकि इस वादी में अस्हाब-ए-फ़ील पर अज़ाब नाज़िल हुआ था।

iii. जमरा-ए-उक़्बा (बड़े शैतान) पर पहली रमी: मिना पहुँच कर सब से पहले जमरा-ए-उक़्बा की तरफ़ रवाना हों। जमरा-ए-उक़्बा आख़िरी सुतून है। इस पर सात कंकरियाँ मारी जाती हैं और इस रोज़ सिर्फ़ इसी

पर रमी की जाती है। यह रमी तुलूअ-ए-आफ़ताब से ग़ुरूब-ए-आफ़ताब तक किसी वक़्त भी की जा सकती है। हर कंकरी फेंकते वक़्त ज़बान से यह अल्फ़ाज़ अदा करें। बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबरु रग़मन लिश-शैतान। "अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो सबसे बड़ा है ताकि शैतान ज़लील हो।"

iv. क़ुर्बानी: रमी से फ़ारिग़ होकर क़ुर्बानी में मशग़ूल हों। यह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद में हज के शुकराने के तौर पर की जाती है। क़ुर्बानी भेड़, बकरी, दुंबा या ऊँट किसी की भी दी जा सकती है। फ़र्क़ सिर्फ़ यह है कि भेड़, बकरी और दुंबा में शिर्कत नहीं होती और ऊँट में सात आदमी शरीक हो सकते हैं। क़ुर्बानी के

जानवरों कि उम्र और आज़ा में वहीं शर्तें हैं जो ईद की क़ुर्बानी में हैं।

v. हल्क़ या तक़सीर (सर मुंडवाना या बाल कटवाना): क़ुर्बानी के बाद क़िब्ला की तरफ़ बैठ कर मर्द हल्क़ (सर मुंडवाना) या तक़सीर (बाल कतरवाना) करवाएँ लेकिन सर मुंडवाना बाल कतरवाने की बनिस्बत ज़्यादा अफ़ज़ल है क्योंकि पैग़म्बर-ए-इस्लाम (सल्ल.) ने फ़रमाया: "अल्लाहुम-मग़्फ़िरु लिल-मुहलिक़ीन। "ऐ अल्लाह! सर मुंडवाने वालों कि बख़्श दे।" सर मुंडवाते वक़्त मस्नून यह है कि दाईं तरफ़ से सर मुंडवाएँ और अगर बाल कतरवाने हों तो उंगली के पोर के बराबर कतरवाएँ। औरतें उंगली के एक पोर के बराबर बाल कतरवाएँ। मर्द और ख़्वातीन अपने बालों को दफ़्न कर दें। हल्क़ या तक़्सीर से पहले न बाल कतरवाएँ और न ही ख़त बनवाएँ।

vi. एहराम उतारना: क़ुर्बानी, हल्क़ व तक़सीर और एहराम खोलने के बाद तवाफ़-ए-ज़ियारत के लिए मक्का मोअज़्ज़मा की तरफ़ रवाना हों। इस तवाफ़ में एक काँधा खोलना ज़रूरी नहीं क्योंकि यह आम लिबास में किया जाता है। तवाफ़-ए-ज़ियारत हज का दूसरा अहम रुक्न है और यह उमरा के तवाफ़ की ही तरह किया जाता है। तवाफ़-ए-ज़ियारत का वक़्त ईद की सुबह से लेकर अय्याम-ए-नहर के इख़्तिताम तक है। अगर 12 ज़िल-हिज्जा का आफ़ताब ग़ुरूब होने से पहले पहले कर लिया जाए तो जायज़ है। अगर तारीख़ गुज़र गई और तवाफ़-ए-ज़ियारत नहीं किया तो दम देना वाजिब होगा और तवाफ़ भी अदा करना पड़ेगा। बहरहाल जब तवाफ़-ए-ज़ियारत कर लिया तो अब एहराम की तमाम पाबंदियाँ ख़त्म हो गईं।

vii. हज की सई: तवाफ़-ए-ज़ियारत के बाद आप रोज़ाना के लिबास में सफ़ा व मरवा की सई करेंगे। हज की सई के बाद दो रकात नफ़िल नमाज़ पढ़ें। इन सबके बाद आप अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ़-ए-विदाअ और रमी के अलावा तमाम वाजिबात से फ़ारिग़ हो चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में सज्दा-ए-शुक्र बजा लाएँ जिसने आपको ज़िंदगी में हज जैसी सआदत-ए-उज़्मा से नवाज़ा है।

viii. अय्याम-ए-रमी (हज का चौथा, पाँचवाँ और छठा दिन...11,12,13 ज़िल-हिज्जा): तवाफ़-ए-ज़ियारत से फ़ारिग़ होने के बाद मिना वापस आ जाएँ और दो रातें और दो दिन यहीं क़ियाम करें। गयारहवीं तारीख़ को ज़ोहर की नमाज़ के बाद फिर रमी के लिए रवाना हों और रमी जमरा-ए-ऊला (यानी पहले शैतान) से शुरू करें। फिर जमरा-ए-वुस्ता (बीच वाले)

पर जाएँ। रमी के बाद कुछ आगे बढ़ कर दिल से दुआ व इस्तग़फ़ार करें। फिर जमरा-ए-उक़्बा (पीछे वाले शैतान) पर जाएँ मगर यहाँ रमी करके रुकें नहीं बल्कि फ़ौरन वापस आ जाएँ। इसी तरह 12 तारीख़ को ज़वाल के बाद रमी करें और बारहवीं की रमी करके ग़ुरूब-ए-आफ़ताब से पहले मक्का मोअज़्ज़मा को रवाना हो जाएँ।

ix. तवाफ़-ए-विदा (तवाफ़-ए-रुख़सत या आख़िरी तवाफ़): जब वापसी का इरादा हो तो तवाफ़-ए-विदा बजा लाएँ मगर इसमें रमल है जिसमें न तो तेज़ चलना है और न काँधा खोल के रखना है। फिर दो रकात नमाज़-ए-नफ़िल मक़ाम-ए-इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर पढ़ कर ज़मज़म पर आएँ, अपने हाथ से पानी लें और क़िब्ला-रू होकर ख़ूब सैर होकर पिएँ। हर साँस में नज़रें उठा कर अल्लाह के प्यारे घर

को भी तकते रहें। अपने जिस्म, सर और मुँह पर भी पानी लगाएँ और पानी पीते वक़्त यह दुआ पढ़ें: अल्लाहुम्मा इन्नी अस'अलुका 'इल्मन नाफ़िअन, व रिज़क़न वासिअन, व शिफ़ा'उम मिन कुल्ली दाई "ऐ अल्लाह! मैं तुझसे नफ़ा देने वाले इल्म और कुशादा रोज़ी और हर बीमारी से शिफ़ा का तालिब हूँ।" ज़मज़म से फ़ारिग़ होने के बाद मक़ाम-ए-मुल्तज़िम पर आएँ। बाब-ए-काबा पर खड़े होकर बोसा दें। ख़ाना-ए-काबा का पर्दा पकड़ कर यह दुआ माँगें (अगर भीड़ की वजह से ख़ाना-ए-काबा तक पहुँचना मुमकिन न हो तो अपना हाथ खाना-ए-काबा की तरफ़ उठा कर यह दुआ करें।) अस्साईलु बिबाबि'क यस्तल'क मिन फ़ज़्लि'क व मअरूफ़ि'क व यर'जू रहमतिक "तेरे दर का साइल तुझसे तेरे फ़ज़्ल और मेहरबानियों का सवाल करता है और तेरी रहमत की उम्मीद करता है।

x. ख़ाना-ए-काबा से जुदा होने की दुआ: जब आप तवाफ़-ए-विदा, ज़मज़म और मक़ाम-ए-मुल्तज़िम से फ़ारिग़ हो जाएँ तो फिर हज्र-ए-असवद को बोसा देकर ख़ाना-ए-काबा से जुदाई पर अफ़सोस करते हुए मस्जिद-ए-हराम से बाहर आ जाएँ और यह दुआ पढ़ें: ऐ अल्लाह! मेरे इस हज को अपने घर की आख़िरी ज़ियारतगाह न बना जो हुरमत वाला है और अगर तू इसको आख़िरी ज़ियारतगाह बनाए तो इसके बदले में जन्नत अता फ़रमा।

xi. नीचे कही गई बातों का ख़ास ख़्याल रखें जो तमाम हज करने वालों के लिए बेहद ज़रूरी हैं:

हज के फ़राइज़: एहराम, वक़ूफ़-ए-अरफ़ा, तवाफ़-ए-ज़ियारत करना। कुछ उलमा ने सई को भी हज के फ़राइज़ में शुमार किया जाता है।

हज के वाजिबात: मीक़ात से एहराम के बग़ैर न गुज़रना। अरफ़ा के दिन ग़ुरूब-ए-आफ़ातब तक मैदान-ए-अराफ़ात में रहना। मुज़दलिफ़ा में वक़ूफ़ करना। जमरात (शैतान) को कंकरियाँ मारना। क़ुर्बानी करना (हज अफ़राद में वाजिब नहीं), सर के बाल मुंडवाना या कटवाना। सई करना। तवाफ़-ए-विदा करना। फ़ायदा: हज के फ़राइज में से अगर कोई एक फ़र्ज़ छूट जाए तो हज सही नहीं होगा और जिसकी तलाफ़ी दम से भी मुमकिन नहीं। अगर वाजिबात में से कोई एक वाजिब छूट जाए तो हज सही हो जाएगा मगर जज़ा/दम लाज़िम होगा।

ममनूआत-ए-एहराम: ख़ुशबू इस्तेमाल करना, नाख़ून काटना, जिस्म से बाल दूर करना, शौहर-बीवी वाले ख़ास तअल्लुक़ात क़ायम करना, चेहरे को ढ़ाँकना, सिले हुए कपड़े पहनना (सिर्फ़ मर्दों के लिए),

सर ढ़ाँकना (सिर्फ़ मर्दों के लिए), मीक़ात से बाहर रहने वाले हज़रात वापसी के वक़्त तवाफ़-ए-विदा ज़रूर करें। वल्लाहू आ'लमू बिस्सवाब

لَيۡسَ مِنَّا مَنۡ لَّمۡ يَرۡحَمۡ صَغِيرَنَا وَلَمۡ

يُوَقِّرۡ كَبِيرَنَا○

जो छोटों पर शफ़क़त नहीं करता और बड़ों की इज़्ज़त नहीं करता वह हम में से नहीं है। (हदीस)

हज गाइड

उमरा व ज़ियारत का तरीक़ा

सैयद शाह तुराबुल हक़ क़ादरी

तर्तीब व तलख़ीस: डॉ. हफ़ीज़ुर्रहमान

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम

उमरा

(1) अहराम (शर्त)

(2) तवाफ़ (रुक्न)

(3) सई (वाजिब)

(4) बाल मुंडवाना या कतरवाना (वाजिब)

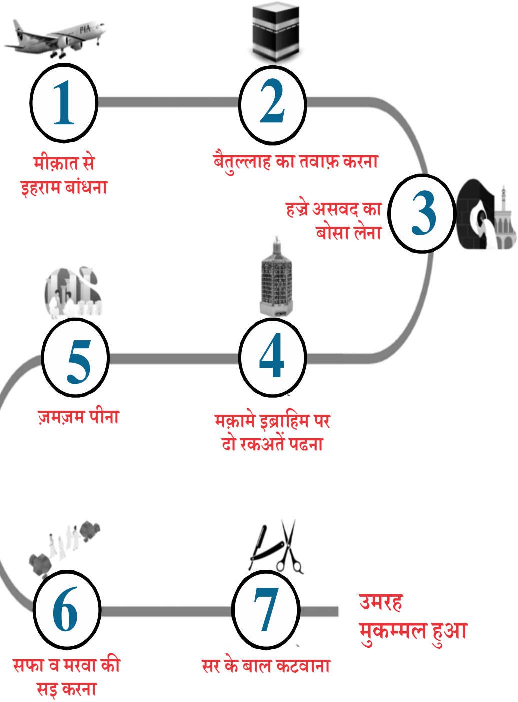
1
मीक़ात से
इहराम बांधना
2
बैतुल्लाह का तवाफ़ करना
3
हज्रे असवद का
बोसा लेना
4
मक़ामे इब्राहिम पर
दो रकअतें पढना
5
ज़मज़म पीना
6
सफा व मरवा की
सइ करना
7
सर के बाल कटवाना
उमरह
मुकम्मल हुआ

उमरा का तरीक़ा

1. बग़ल के और ज़ेरे नाफ़ बाल साफ़ करें और नाख़ून काट लें। फिर वज़ू और ग़ुस्ल करके अहराम बाँध लें।

2. मर्द हज़रात दो बग़ैर सिली चादरें लें। एक चादर बतौर तहबंद नाफ़ के ऊपर बाँध लें कि टख़ने ज़ाहिर रहें और दूसरी चादर इस तरह ओढ़ लें कि दोनों कंधे ढ़क जाएँ। अगर मकरूह वक़्त न हो तो सर ढ़ाँप कर दो रकात नमाज़ अहराम की नीयत से पढ़ें। घर ही से अहराम बाँधना बेहतर है। हालांकि नीयत एयरपोर्ट पर या जहाज़ में सवार होकर भी की जा सकती है।

3. मर्द अपने सर से कपड़ा हटा कर उमरा की नीयत करें: “ऐ अल्लाह! मैं उमरा का इरादा करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और इसे मेरी तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा, इसके अदा करने में मेरी मदद फ़रमा और इसे मेरे लिए बाबरकत बना।”

لَبَّيْكَ اللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ ○

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीका लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन्निएमता लका वल-मुल्क, ला शरीका लका:

तर्जुमा: *मैं हाज़िर हूँ, ऐ अल्लाह! मैं हाज़िर हूँ, मैं हाज़िर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाज़िर हूँ। बेशक! सब तारीफ़ तेरे लिए हैं और सब नेअमतें तेरी ही अता*

कर्दा हैं और बादशाही तेरे ही लिए है, तेरा कोई शरीक नहीं।

फिर दरूद शरीफ़ पढ़ कर दुआ माँगें। मीक़ात पर या उससे पहले अहराम की नीयत ज़रूरी है। नीयत और तल्बिया पढ़ने से अहराम की पाबंदियाँ शुरू हो जाती हैं।

4. हरम शरीफ़ में दाख़िल होते वक़्त दायाँ पांव अंदर रखें और मस्जिद में दाख़िल होने की दुआ पढ़ कर एतिकाफ़ की नीयत कर लें।

5. नज़रें नीची रखते हुए चलें और जब ख़ाना-ए-काबा पर पहली नज़र पड़े तो ठहर जाएँ और काबा शरीफ़ पर नज़र जमाए रखें और तीन बार "ला-इला-ह इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर" कहें फिर दरूद पढ़ कर दुआ माँगें। पहली नज़र में जो

दुआ की जाए क़ुबूल होती है। यह दुआ बेहतर है कि “मौला! मैं जो दुआ माँगूं वह सब क़ुबूल फ़रमा।”

6. हज्र-ए-असवद की सीध में पहुंच कर तल्बिया पढ़ना बंद कर दें और मर्द इज़्तिबा करें यानी अहराम की ऊपर वाली चादर को दाएँ बग़ल के नीचे से निकाल कर बाएँ कंधे पर डाल लें। फिर तवाफ़ की नीयत करें, ख़्याल रहे कि हज्र-ए-असवद की सीध में दाएँ तरफ़ मस्जिद की दीवार पर सब्ज़ टयूबलाइट हर वक़्त रौशन रहती है।

7. अब हज्र-ए-असवद की सीध में इस तरह खड़े हों कि आपका सीना हज्र-ए-असवद की तरफ़ हो। फिर

بِسْمِ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَالصَّلٰوةُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ

“बिस्मिल्लाहि वल-हम्दुलिल्लाहि वल्लाहु अकबर, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह”

पढ़ कर इस्तिलाम करें यानी हाथ उठा कर हज्र-ए-असवद की तरफ़ छूने का इशारा करके उन्हें चूम लें। फिर उसी जगह खड़े-खड़े दाएँ तरफ़ मुड़ जाएँ और तवाफ़ शुरू कर दें।

8. तवाफ़ के पहले तीन फेरों में सिर्फ़ मर्द हज़रात रमल करें यानी अकड़ कर कंधे हिलाते हुए छोटे-छोटे क़दम रखते हुए तेज़ी से चलें। हर वह तवाफ़ जिसके बाद सई करनी हो, उसमें रमल ज़रूरी (सुन्नत) है।

9. पूरे तवाफ़ में बा-वज़ू रहना ज़रूरी है चाहे वह तवाफ़-ए-नफ़ली ही क्यूँ न हो। तवाफ़ के दौरान वज़ू टूट जाए तो अगर चार फेरों से कम किए हों तो जहाँ से छोड़ा वहीं से शुरू करें या चाहें तो नए सिरे से शुरू करें। अगर चार से ज़ाएद चक्कर कर लिए तो अब जहाँ से छोड़ा था वहीं से तवाफ़ करना होगा।

10. तवाफ़ के दौरान देख कर दुआएँ पढ़ने के बजाए दरूद शरीफ़, तीसरा कलमा, इस्तग़फ़ार और कोई भी मसनून दुआ पढ़ते रहें। यहाँ तक कि अपनी ज़बान में भी जो दुआएँ मांगना चाहें, मांगते रहें। रुक्ने यमानी से हज्र-ए-असवद तक

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ

(रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतव् व फिल आख़िरति हसनतव् व किना अज़ाबन्नार)

पढ़िए। यहाँ दुआ पर आमीन कहने के लिए सत्तर हज़ार फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। रुक्न-ए-यमानी की तरफ़ न इशारा करें न अपने हाथ चूमें।

11. तवाफ़ के दौरान हर बार जब हज्र-ए-असवद की सीध में पहुँचें तो पांव मोड़े बग़ैर सिर्फ़ सीना और मुंह हज्र-ए-असवद की तरफ़ करें और इस्तिलाम करें। सात चक्कर पूरे करके आठवीं बार इस्तिलाम करें, तवाफ़ के दौरान कहीं ठहरना नहीं चाहिए।

12. फिर दोनों शाने (कंधे) ढ़ांप कर मक़ाम-ए-इब्राहीम से क़रीब किसी भी जगह

وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرٰهٖمَ مُصَلًّى ۝

(वत्तख़िज़ू मिम मक़ाम-ए-इब्राही-म मुसल्ला।) (सूरह बक़रा:2/125)

(तर्जुमा: और इब्राहीम के खड़े होने की जगह को नमाज़ का मक़ाम बनाओ) पढ़ कर दो रकात नमाज़-ए-तवाफ़ अदा करें। अगर मकरूह वक़्त हो तो बाद में नमाज़ अदा की जाए, यह नमाज़-ए-तवाफ़ के वाजिबात से है।

फ़जर की अज़ान से सूरज उगने तक, ज़ोहर से पहले ज़हवा-ए-कुबरा का वक़्त और असर की नमाज़ से सूरज ढ़लने तक नफ़िल के लिए मकरूह वक़्त है।

13. फिर मुल्तज़िम यानी बाब-ए-काबा के पास आकर ख़ूब रो-रो कर दुआ माँगें कि क़ुबूलियत का मौक़ा है। अहराम की हालत में ख़ाना-ए-काबा को हाथ न लगाएँ क्योंकि लोग इस पर ख़ुशबू लगा देते हैं।

जिस तवाफ़ की सई नहीं करनी हो (मसलन नफ़िल तवाफ़) उसमें तवाफ़ की नमाज़ से पहले मुल्तज़िम के पास आकर दुआ माँगनी चाहिए।

14. तवाफ़ की नमाज़ के बाद आब-ए-ज़मज़म खड़े होकर पिएँ और यह दुआ माँगें: इलाही! मैं तुझसे नफ़ा बख़्श इल्म, वसीअ रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफ़ा माँनता हूँ।

फिर हज्र-ए-असवद की सीध में आकर इस्तिलाम करें।

15. फिर सई करने के लिए सफ़ा पर आएँ और

إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللّٰهِ

(इन्नस्सफ़ा वल्मर्व-त मिन् शआ-इरिल्लाहि) (अल-बक़रा 2/158)

(तर्जुमा: बेशक सफ़ा और मर्वा अल्लाह की निशानियों से हैं।) पढ़ कर क़िब्ला रुख़ होकर सई की नीयत करें।

इलाही! मैं तेरी रज़ा की ख़ातिर सफ़ा व मर्वा की सई की नीयत करता हूँ, इसे मेरे लिए आसान कर दे और क़बूल फ़रमा।

जब भी सफ़ा व मर्वा पर चढ़ें तो तीन बार अल्लाहु अकबर कह कर चौथा कलमा पढ़ें, फिर दरूद शरीफ़ पढ़ कर दुआ माँगें। अब सफ़ा से चलना शुरू करें, मर्वा तक एक चक्कर होगा, इस तरह सातवाँ चक्कर मर्वा पर ख़त्म होगा। सई के दौरान इज़्तिबाअ न करें।

16. हर चक्कर में सब्ज़ सुतूनों के दरमियान सिर्फ़ मर्द मुनासिब अंदाज़ में दौड़ें, वहाँ यह दुआ पढ़ें:

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ ○

रब्बिग़-फ़िर वर्हम व अन्तल-अअज़्ज़ुल अकरम।

(तर्जुमा: ऐ रब! बख़्श और रहम फ़रमा, बेशक तू ही सबसे ज़्यादा इज़्ज़त और बुज़ुर्गी वाला है।)

17. सई से फ़ारिग़ होकर अगर मकरूह वक़्त न हो तो मस्जिद-ए-हराम में आकर दो रकअत नफ़िल अदा करें।

18. फिर सिर के (हलक़) बाल मुँडवाएँ या चौथाई (क़सर) मिक़दार में बाल कटवाएँ। औरतों को चाहिए कि अपनी चुटिया के बाल अपनी उंगली के एक पोरे से कुछ ज़्यादा काट लें। यह एहतियात रखें कि कम से कम चौथाई सर के बाल एक पोर के बराबर कट जाएँ, अब उमरा मुकम्मल हो गया।

अहराम में यह बातें हराम हैं

- मर्द को सिला हुआ कपड़ा पहनना।
- मर्द को सिर ढ़ांकना।
- मर्द को ऐसा जूता पहनना जिससे पांव की उभरी हुई हड्डी छुप जाए।
- ख़ुशकी के जानवर का शिकार करना।
- चेहरे को कपड़े से ऐसे ढ़ांकना कि वह चेहरे को छुपा दे।
- ख़ुशबूदार साबुन इस्तेमाल करना।
- ख़ुशबू लगाना, ख़ुशबूदार चीज़ इलायची लौंग वग़ैरा खाना।
- जिस जगह ख़ुशबू लगी हो उसे छूना, फूलों का हार पहनना।
- जिस्म के किसी हिस्से से बाल दूर करना।

- शहवत के साथ औरत से जिस्म को टच करना।
- जूँ मारना
- गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा करना।

अहराम में यह बातें मकरूह हैं

- जिस्म का मैल छुड़ाना।
- जानबूझ कर ख़ुशबू लगाना।
- सिर या दाढ़ी के बालों में कंघी करना।
- इस तरह बाल खुजाना कि टूटने का अंदेशा हो।
- हाथ पोंछने के लिए ख़ुशबूदार टिश्यू पेपर इस्तेमाल करना।
- मुँह का कोई भी हिस्सा कपड़े से छिपाना, अगर नज़ला हो जाए तो भी।
- रूमाल से नाक न पोछें।
- बग़ैर ख़ुशबू के साबुन से बाल या जिस्म धोना।

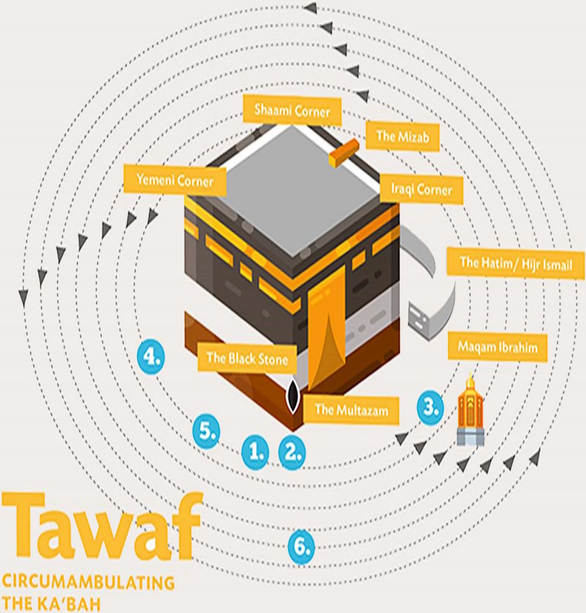
Shaami Corner
The Mizab
Yemeni Corner
Iraqi Corner
The Hatim/ Hijr Ismail
Maqam Ibrahim
The Black Stone
The Multazam
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tawaf
CIRCUMAMBULATING
THE KA'BAH

तवाफ़ के दौरान यह बातें नाजायज़ हैं

- हज्र-ए-असवद के मुक़ाबिल आए बग़ैर हाथ उठाना।
- इस्तिलाम के बाद दाएँ मुड़े बग़ैर तवाफ़ शुरू करना।
- हज्र-ए-असवद तक पहुंचने की कोशिश में किसी को धक्का देना।
- फ़ुज़ूल गुफ़्तगू या दुनियावी बातें या मोबाइल पर बात करना।
- दौरान-ए-तवाफ़ किसी जगह दुआ के लिए ठहरना।
- पेशाब या पाख़ाने के तक़ाज़े के वक़्त तवाफ़ करना।
- बिना उज़्र तवाफ़ की नमाज़ अदा किए बग़ैर अगला तवाफ़ शुरू करना, अगर नमाज़ का मकरूह वक़्त हो तो अगला तवाफ़ करना जाएज़ है।

- वाजिब तवाफ़ में बिना उ़ज्र इज़्तिबा और रमल न करना।
- तवाफ़ के दौरान काबा कि तरफ़ मुँह या पीठ होना।

एहतियात: अहराम के अलावा भी नाफ़ से लेकर घुटनों के नीचे तक का जिस्म छिपाना फ़र्ज़ और उसका देखना हराम है। मर्द एहतियात करें कि उनका तहबंद नाफ़ से नीचे न होने पाए।

(मस्जिद-ए-आयशा से उमरा)

मक्का मुकर्रमा में क़याम के दौरान जब चाहें, तनईम नामी जगह पर मस्जिद-ए-आयशा चले जाएँ और वहाँ दो नफ़िल पढ़ कर उमरा की नीयत करके मस्जिद-ए-हराम में आ जाएँ फिर ऊपर तहरीर शुदा तरीक़े के मुताबिक़ उमरा अदा करके अहराम खोल दें।

(औरतों के अहम मसाइल)

- औरत हैज़ के दौरान अहराम बाँध सकती है, वह नीयत करके तल्बिया पढ़े मगर नमाज़ न पढ़े।
- अगर अहराम की हालत में हैज़ आ जाए तो अहराम क़ायम रहेगा। इस हालत में मस्जिद में आना और तवाफ़ करना मना है।
- औरत के लिए मर्द की तरह अहराम नहीं, उसके लिए सिर ढ़ांकना वाजिब है। अहराम की हालत में सिर पर एक रूमाल बांध ले ताकि सिर के बाल न टूटें और वज़ू के वक़्त उसे खोल कर बालों का मसह करे।
- औरत रोज़ाना की तरह सिला हुआ कपड़ा और आम जूते पहने।

- औरत तल्बिया आवाज़ से न कहे।
- औरत तवाफ़ में रमल न करे और न ही तेज़ चले।
- औरत तवाफ़ के दौरान और तवाफ़ के बाद दो रकात अदा करने के लिए मर्दों के हुजूम से अलग रहे।
- औरत को सई के दौरान सब्ज़ सुतूनों के दरमियान दौड़ना नहीं चाहिए।
- अहराम से निकलते वक़्त औरत अपने सिर के बाल उंगली के एक पोरे से कुछ ज़्यादा कटवाएगी।

(रोज़ा-ए-रसूल ﷺ पर हाज़िरी)

अल्लाह तआला ने इस आयत-ए-करीमा में रसूलुल्लाह (सल्ल.) की बारगाह-ए-अक़दस में हाज़िर होने का हुक्म दिया है।

इरशाद हुआ: और अगर वह अपनी जानों पर ज़ुल्म करें तो ऐ महबूब (सल्ल.)! तुम्हारे हुज़ूर हाज़िर हों, फिर अल्लाह से माफ़ी चाहें और रसूल भी उनकी शिफ़ाअत फ़रमाएँ तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा क़बूल करने वाला मेहरबान पाएँ। (अन्-निसा:46)

रोज़ा-ए-अक़दस पर हाज़िरी के मुतअल्लिक़ चंद अहादीस दर्जे-ज़ैल हैं।

(مَنْ زَارَ قَبْرِي وَجَبَتْ لَهُ شَفَاعَتِي)

मन ज़ा-र क़बरी व जबत लहु शफ़ाअती

अल्लाह के नबी हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) ने इरशाद फ़रमाया: जिसने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफ़ाअत वाजिब हो गई। (दार-क़ुतनी, बैहक़ी, इब्ने-ख़ज़ीमा)

जिसने मेरी हयात-ए-ज़ाहिरी के बाद हज किया और फिर मेरी ज़ियारत की, गोया उसने मेरी हयात-ए-ज़ाहिरी में ज़ियारत की। (दार-क़ुतनी, बैहक़ी, मिश्कात)

जो सफ़र करके मेरी ज़ियारत को आया, वह क़यामत में मेरा पड़ोसी होगा और जो मदीना शरीफ़ में यहाँ की मुश्किलात पर सब्र करेगा, मैं क़यामत में उसका शफ़ी और गवाह होउंगा। (मिश्कात)

जिसने हज किया और फिर मेरी मस्जिद आकर मेरी ज़ियारत की, उसके लिए दो मक़बूल हज लिख दिए गए। (मुसनद अल-फ़िरदौस)

जिसने मेरी ज़ियारत का इरादा किया और फिर मेरी ज़ियारत को आया, वह क़यामत के दिन मेरी पनाह में होगा। (अबू ज़ाफ़र अक़ीली)

इन अहादीस-ए-मुबारका को ज़हन-नशीन करते हुए हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की बारगाह में हाज़िरी के इरादे से सफ़र शुरू कीजिए, रास्ते में दरूद व सलाम ज़बान पर जारी रहे और दिल इश्क़-ए-रसूल (सल्ल.) की कैफ़ियत से सरशार हो।

(हाज़िरी के आदाब)

इमाम मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु फ़रमाते हैं: यह कहना मकरूह है कि हमने हुज़ूर (सल्ल.) की क़ब्र-ए-मुबारक कि ज़ियारत की बल्कि बारगाहे-ख़ैरुल-अनाम में हाज़िरी देने वालों को यह कहना चाहिए कि हमने बारगाह-ए-नबवी (सल्ल.) की ज़ियारत की।

निहायत अदब के साथ हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की ख़िदमत-ए-अक़दस में सलाम अर्ज़ करें:

اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ اَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهٗ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا خَيْرَ خَلْقِ اللّٰهِ

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِىْ يَا شَفِيْعَ الْمُذْنِبِيْن

अगर किसी ने बारगाह-ए-नबवी (सल्ल.) में सलाम अर्ज़ करने को कहा है तो उसकी तरफ़ से भी सलाम अर्ज़ करें। फिर अपने लिए, अपने वालिदैन, औलाद, अज़ीज़ों, दोस्तों और मुसलमानों के लिए हुज़ूर (सल्ल.) से शिफ़ाअत माँगें।

اَسْئَلُكَ الشَّفَاعَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ

मेरे आक़ा (सल्ल.)! मैं आपसे शिफ़ाअत का तलबगार हूँ।

बारगाह-ए-नबवी (सल्ल.) के अदब का ख़्याल रखो, यह वह अज़ीम बारगाह है जहाँ आवाज़ बुलंद करने से तमाम आमाल बर्बाद हो जाते हैं। अकसर लोग बाब-ए-बक़ीअ के क़रीब ही मोबाइल फ़ोन पर ऊँची आवाज़ में बातें करते हैं जो कि सख़्त बे-अदबी है।

मस्जिद-ए-नबवी में एक मुतबर्रिक जगह रियाज़ुल-जन्ना है जिसके मुतअल्लिक़ अल्लाह के नबी (सल्ल.) का इरशाद-ए-गिरामी है: मेरी क़ब्र और मेरे मेंबर की दरमियानी जगह जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है। **(बुख़ारी, मुस्लिम)**

रियाज़ुल-जन्ना में मेहराबे-नबवी (सल्ल.) में बल्कि मस्जिदे-नबवी के हर सुतून के पास जिस क़द्र हो सके नवाफ़ेल अदा करें।

मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान एक सांस भी बेकार न जाने दो। ज़रूरियात के सिवा ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त मस्जिद-ए-नबवी में नमाज़ व तिलावत और दरूद व सलाम में गुज़ारो।

सही हदीस में है कि रसूलुल्लाह (सल्ल.) ने फ़रमाया: मेरी मस्जिद में जिसकी चालीस नमाज़े फ़ौत न हों उसके लिए दोज़ख़ और निफ़ाक़ से आज़ादी लिखी जाती है। (मुसनद अहमद)

हदीस पाक में है कि मस्जिदे-क़ुबा में दो रकात नफ़िल का सवाब एक उमरा के बराबर है। (तिर्मिज़ी)

जन्नतुल-बक़ी की ज़ियारत करें और दुआ मांगें। यहाँ सैयदना अब्बास, सैयदना उस्मान, अज़वाज व बनाते-रसूल (सल्ल.), सैयदना इब्राहीम बिन रसूल (सल्ल.)

सैयदना हसन और कसीर सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आराम फ़रमा रहे हैं।

ख़ास तौर पर सैयदना अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहू अन्हु का मज़ार क़ुबूलियत-ए-दुआ के लिए इकसीर है। शोहदा-ए-उहुद की भी ज़ियारत करें और वहाँ दुआ मांगें।

अलविदाई हाज़िरी

जब मदीना मुनव्वरा से वापसी का इरादा हो तो मस्जिद-ए-नबवी में दो नफ़िल पढ़ कर मवाजह-ए-अक़्दस में हाज़िर हों और हज़रत मुहम्मद (सल्ल.) की बारगाह में दरूद व सलाम पेश करके यूँ अर्ज़ करें: ऐ अल्लाह तआला के रसूल (सल्ल.)! मैं आपसे से शिफ़ाअत व रहमत का तालिब हूँ।

हिदायात बराए हज

(सेन्ट्रल हज कमेटी के शुक्रिये के साथ)

- वेबसाइट पर ज़रूर जाएँ: www.hajcommittee.gov.in
- ऐप (App)ज़रूर डाउनलोड करें:HAJ SUVIDHA
- हज के दरमियान नीचे बताए गए ***"करने और न करने के कामों"*** पर सख़्ती से अमल करना चाहिए।

1. Flights हवाई जहाज़ (परवाज़) का तअय्युनः

i. परवाज़ की तफ़सीलात के बारे में जानकारी SMS/ WhatsApp/ Voice Message/ Telephonic Call के ज़रिए पहले से ही दे दी जाएगी।

ii. यह जानकारियाँ हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया की वेबसाइट www.hajcommittee.gov.in पर भी अपलोड की जाएँगी।

iii. मशवरा दिया जाता है कि आप अपने सफ़र की तैयारी बताए गए शेडयूल के मुताबिक़ करें।

iv. हज के सफ़र की उड़ान में तब्दीली की किसी भी दरख़्वास्त पर ग़ौर नहीं किया जाएगा।

v. हज कवर हेड को साथी आज़मीन, हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के ओहदेदारों और सऊदी

हुकूमत के कार्मिकों के साथ मुनासिब रवैये से पेश आना चाहिए।

vi. हुज्जाज या उनके रिश्तेदारों की तरफ़ से किसी भी तरह के ग़लत बर्ताव को संजीदगी से देखा जाता है और ऐसे मामलात में हज के सफ़र को कैंसिल (रद्द) करने के अलावा मुनासिब क़ानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।

vii. उड़ानों में किसी भी तरह की देरी या कैंसिल (रद्द) की सूरत में एयरलाइंस नियम के मुताबिक़ खाना और ठहरने के लिए जगह वग़ैरा फ़राहम करने की ज़िम्मेदार होगी।

viii. कुछ ख़ास हालात को छोड़कर उनके लिए तय उड़ान के अलावा किसी दूसरी उड़ान से सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी।

ix. एयर चार्टर के तहत एयर टिकट मुंतक़िल नहीं हो सकते। इसलिए तयशुदा वक़्त से पहले वापसी की लड़ाई पर किसी तब्दीली/ मंसूख़/ मुंतक़िली की इजाज़त नहीं होगी।

x. कवर (ग्रूप) को तक़सीम करने की दरख़्वास्त पर बिल्कुल भी ग़ौर नहीं किया जाएगा।

xi. एक बार फ़्लाइट एलॉटमेंट होने के बाद परवाज़ (उड़ान) की तारीख़ में तब्दीली पर ग़ौर सिर्फ़ उन मामलात में किया जाएगा जिनकी मौत/संगीन बीमारी, हादसे में हज के ख़्वाहिशमंद या क़रीबी ख़ानदान के रुक्न की मौत होगी। अगली परवाज़ में सीट (सीटों) की तस्दीक़ सीटों की दस्तयाबी पर ही दी जाएगी।

xii. हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया फ़्लाइट की तारीख़/ वक़्त को बदलने या ज़रूरत पड़ने पर सफ़र को रद्द करने कर हक़ महफ़ूज़ रखती है।

xiii. हवाई अड्डे पर रिपोर्टिंग का वक़्त परवाज़ की रवानगी से 4 घण्टे पहले होगा। अगर कोई हुज्जाज बिलिंग के बाद अपनी फ़्लाइट में सवार नहीं हो सकता है तो उसे सीट मौजूद होने की हालत में अगली जहाज़ के लिए एक हाजी 25,000/- रूपये अदा करने होंगे और उससे पैदा होने वाले किसी भी नताइज का ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।

xiv. **परवाज़ का आग़ाज़:** फ़्लाइट की एलॉटमेंट एयरलाइंस और सिविल एविऐशन अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी की गई गाइडलाइंस/

हिदायात CGI जेद्दा या किसी और वजह से रिहाइश की तस्दीक़ के मुताबिक़ होगी।

xv. **सिटी चेक-इन:** एयरलाइंस वापसी के सफ़र के दौरान सिटी चेक-इन ख़िदमात फ़राहम करेंगी। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में आज़मीन से हर फ़्लाइट के लिए 36 से 48 घण्टे पहले सामान उनकी मुतअल्लिक़ा इमारतों में जमा कर लिया जाएगा।

xvi. **अहम नोट:**

हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया किसी भी नुक़सान/ चोट/ हादसे/ ताख़ीर या किसी दूसरी बे-ज़ाब्तगी के लिए ज़िम्मेदार नहीं होगा, जो इंतिज़ामात से मुतअल्लिक़ा शख़्स की ग़लती से हुई हो। हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया परवाज़ के शेडयूल में देरी, मौसम की ख़राबी, हड़ताल, जंग, क़ुदरती आफ़ात, हवाई जहाज़ की

तकनीकी ख़राबियों वग़ैरा की वजह से होने वाले किसी नुक़सान या इज़ाफ़ी इख़राजात के लिए भी ज़िम्मेदार नहीं होगा। इस तरह के तमाम नुक़सानात या इख़राजात हुज्जाज-ए-किराम बर्दाशत करेंगे।

- तमाम हुज्जाज-ए-किराम को अमले की तरफ़ से दी गई हिफ़ाज़ती हिदायात पर अमल करना चाहिए।
- सीट बेल्ट पहनना चाहिए।
- हवाई जहाज़ के गलियारों में नमाज़ नहीं पढ़नी चाहिए।
- आज़मीन अपनी सीट पर नमाज़ पढ़ सकते हैं।
- वज़ू करते वक़्त पानी बहाने से भी परहेज़ करना चाहिए।
- एक जगह पर इकट्ठा होने से बचना चाहिए क्योंकि यह परवाज़ में हिफ़ाज़ती ख़तरा हो सकता है।

- जहाज़ के दौरान हुज्जाज को मीक़ात उबूर करने के बारे में बताया जाएगा ताकि वह नीयत कर सकें।

2. हुज्जाज सिर्फ़ एयरलाइंस के ज़रिए जिन सामान की इजाज़त है वही ले जा सकते हैं जैसा कि हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया ने हज गाइडलाइंस और हज गाइड में बयान किया है।

3. सामान खो जाने पर दावा करने का तरीक़ा:

हुज्जाज-ए-किराम को आगाह किया जाता है कि सामान चेक-इन कराने से पहले अपने सामान का बैगेज-टैग हर हाल में हासिल कर लें। सामान न मिलने या नुक़सान हो जाने की सूरत में बैगेज-टैग का होना बहुत फ़ायदेमंद होता है। परवाज़ से उतरने पर कोई सामान न मिलने पर हाजी नीचे बताए गए तरीक़ों पर अमल करें:

1. आज़मीन-ए-किराम संबंधित एयरलाइंस के नज़दीकी गुमशुदा बैगेज काउण्टर पर राब्ता करें।

2. गुमशुदा सामान का बैगेज टैग दिखा कर शिकायत दर्ज कराएँ।

3. संबंधित एयरलाइंस के पास गुमशुदा सामान की शिकायत दर्ज कराकर शिकायत की एक कॉपी अपने पास महफ़ूज़ रखें ताकि मुस्तक़बिल में ज़रूरत पड़ने पर उसको दिखाया जा सके।

4. अगर गुमशुदा सामान हज की आख़िरी परवाज़ की वापसी तक न मिल पाए तो संबंधित काग़ज़ात के साथ और गुमशुदा सामान की दर्ज की गई शिकायत की बिना पर संबंधित एयरलाइंस से हर्जाने/ मुआवज़े का दावा करें।

5. इस साल गुमशुदा सामान के मुआवज़े का दावा करने की आख़िरी तारीख़ 10 सितम्बर 2025 है।

4. जेद्दा/मदीना हवाई अड्डे पर:

i. जेद्दा/ मदीना हवाई अड्डों पर पहुँचने वाले तमाम आज़मीन अपने सफ़री दस्तावेज़ात (पासपोर्ट, वीज़ा, वैक्सीनेशन कार्ड) दिखाने के लिए तैयार रखें।

ii. आज़मीन को इमीग्रेशन हुक्काम के सामने अपनी बायोमेट्रिक शिनाख़्त देनी होगी। पासपोर्ट में ज़रूरी एंट्री मुतअल्लिक़ा (संबंधित) अथॉरिटी सऊदी अरब में उनके दाख़िले पर करेगी।

iii. सऊदी अरब पहुँचने पर आज़मीन को मुअल्लिम की फ़राहम की गई बसों के ज़रिए मक्का/मदीना शहर पहुँचाया जाएगा।

iv. उनका पासपोर्ट मोअल्लिम अमला जमा करेगा।

v. आज़मीन-ए-हज को मोअल्लिम की तरफ़ से फ़राहमकर्दा मोअल्लिम का कड़ा पहनना भी ज़रूरी है।

vi. आज़मीन को उनकी रिहाइश पर पहुंचाया जाएगा। हुज्जाज-ए-किराम को आमद के वक़्त सऊदी अरब की जारीकर्दा हिदायात पर अमल करने की भी ज़रूरत होगी।

vii. सऊदी हुकूमत और हिंदुस्तानी हज आज़मीन-ए-उमूर के दफ़्तर की हिदायात पर सख़्ती से अमल किया जाए।

viii. इण्डियन हज मिशन हवाई अड्डों से आज़मीन की आसानी के लिए ज़रूरी इंतिज़ामात करेगा।

ix. किसी भी मुश्किल सूरत में हवाई अड्डे के बाहर स्थित हिंदुस्तानी हज आज़मीन-ए-उमूर के दफ़्तर से हिंदुस्तानी आज़मीन राब्ता कर सकते हैं।

5. सऊदी अरब में क़ियाम का दौरानिया:

- हुज्जाज-ए-किराम के क़ियाम का दौरानिया 30 से 40 दिन और एयरलाइंस, जनरल अथॉरिटी ऑफ़ सिविल एविऐशन, सऊदी अरब की तरफ़ से मंज़ूर शेडयूल के मुताबिक़ मुख़्तलिफ़ हो सकता है।
- मक्का में रिहाइश पूरे सीज़न के लिए किराए पर लिए जाते हैं चाहे क़ियाम की मुद्दत कुछ भी हो और इसलिए तमाम हाजियों से रक़म यकसाँ तौर पर वसूल की जाती है।

- कोई भी हाजी क़ियाम की असल मुद्दत की बुनियाद पर किसी भी रक़म की वापसी का हक़दार नहीं है।

रिहाइश:

i. मक्का रिहाइश:

- मक्का मुकर्रमा में रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की सहूलत: सऊदी नियम के मुताबिक़ वहाँ रिहाइश के इंतिज़ाम के लिए रिज़र्वेशन कराना पड़ता है।
- मक्का मुकर्रमा (मरकज़िया से बाहर) और हरम शरीफ़ में रिहाइश के दरमियान सफ़र के लिए 24 घण्टे बस की सहूलत फ़राहम की गई है। बस का रूट सऊदी हुक्काम हुज्जाज की हिफ़ाज़त के लिए तय करते हैं।

- **रिहाइश की तब्दीली:** रिहाइश हाजियों की कुल तादाद के मुताबिक़ किराए पर ली जाती है इसलिए हाजी की रिहाइश किसी भी सूरत में तब्दील नहीं की जाएगी।

ii. मदीना रिहाइश:

- मदीना मुनव्वरा में, मरकज़िया के इलाक़े (हरम शरीफ़ से पहली रिंग रोड के अंदर) में रिहाइशगाहों को तरजीही तौर पर आज़मीन की रिहाइश के लिए किराए पर लिया जाता है।

- पिछले साल के तजर्बात और रिहाइश की मौजूदा गुंजाइश की बुनियाद पर यह उम्मीद की जाती है कि 60-65 फ़ीसद हुज्जाज-ए-किराम को मरकज़िया में रिहाइश मिल जाएगी जबकि बक़िया हुज्जाज-ए-

किराम को मरकज़िया से बाहर रिहाइश मुहैया कराई जाएगी।

- मदीना मुनव्वरा में रिहाइश के इंतिज़ामात "ऑन दी स्पॉट अलॉटमेंट" की बुनियाद पर किए जाते हैं।
- अदला स्टैबलिशमेंट मदीना मुनव्वरा में हाजियों की रिहाइश के इंतिज़ामात वग़ैरा के लिए मक़ामी सऊदी अथॉरिटी है।
- मरकज़िया के बाहर से हरम शरीफ़ के दरमियान में आने-जाने के लिए कोई बस की सहूलत दस्तियाब नहीं है। रिहाइश (मरकज़िया के बाहर) और हरम शरीफ़ मदीना मुनव्वरा में खाना पकाने की इजाज़त नहीं है। ज़ायरीन क़रीबी रेस्टोरेंट से खाना ख़रीद सकते हैं।

iii. मुस्तसना ज़ुमरा: वह आज़मीन जो रबात में क़ियाम के ख़्वाहिशमंद और हक़दार हैं उन्हें सऊदी हुकूमत के उसूलों के तहत रबात में रहने की इजाज़त होगी। उनकी रिहाइश के लिए हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया की तरफ़ से कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा और अगर चार्जेज़ लिए गए होंगे तो वह उन आज़मीन को वापस कर दिए जाऐंगे जो रबात की सहूलत इस्तेमाल करेंगे।

6. मिना, अराफ़ात व मुज़दलिफ़ा में क़ियाम और नक़्ल व हरकत:

- मिना एक वादी है जिसमें जगह महदूद है और हुज्जाज को अपने रहने की जगह बड़े ख़ेमों में दूसरों के साथ बाँटनी पड़ती है।
- हुज्जाज-ए-किराम को मिना में 5 से 6 दिन क़ियाम करना होता है।
- चूँकि मिना में जगह बेहद कम है इसलिए हुज्जाज-ए-किराम को सिर्फ़ ज़रूरी सामान अपने साथ रखना चाहिए।
- मिना में ख़ेमों का अलॉटमेंट, मेट्रो और बस की सहूलियात हुज्जाज-ए-किराम की हिफ़ाज़त और नक़्ल व हरकत को ध्यान में रखते हुए करते हैं।

- मिना में रिवायती हुदूद में जगह की तंगी की वजह से इस बात का इमकान है कि तक़रीबन एक चौथाई हुज्जाज को मिना की रिवायती हुदूद से बाहर सऊदी हुक्काम की जानिब से ख़ेमे दिए जाऐं।
- इसके साथ ही मिना में ट्रेन के रूट के साथ लगे टेंट में ठहरने वाले हुज्जाज-ए-किराम को सऊदी हुक्काम की जानिब से मेट्रो ट्रेन के टिकट लाज़मी तौर पर दिए जाते हैं जबकि दूसरों को मिना, अरफ़ात और मुज़दलिफ़ा के बीच सफ़र के लिए बस की सहूलत फ़राहम की जाती है।
- यह भी सख़्त मशवरा दिया जाता है कि हज के दौरान मशाइर (जहाँ कुर्बानी वग़ैरा अदा की जाएँ) में जाते वक़्त अपने साथ हवाई टिकट, सफ़र के दस्तावेज़ात, ज़्यादा नक़द, ज़ेवरात और दीगर क़ीमती सामान न ले जाएँ।

7. सिम कार्ड: हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया आज़मीन-ए-हज को सिम कार्ड फ़राहम करने या फ़राहम कराने का ज़िम्मेदार नहीं है। कवर हेड के लिए यह लाज़िमी है कि वह अपना काम करने वाला मोबाइल नंबर हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के साथ रजिस्टर्ड कराए जिसमें अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग/ लोकल पैकेज कम से कम 2 GB डाटा के साथ वाली सहूलत मौजूद हो ताकि HAJ SUVIDHA एप की तमाम ख़सूसियात और फ़वाइद आज़मीन-ए-हज तक पहुंचाया जा सके।

8. मौत वाक़ेअ हो जाने पर: आज़िम-ए-हज की सऊदी अरब में हज के दौरान क़ुदरती या हादसाती मौत होने पर उसकी तजहीज़ व तकफ़ीन सऊदी अरब के क़ानून के मुताबिक़ वहीं पर कर दी जाती है। मौत की सनद (Death Certificate) काउंसलेट जनरल ऑफ़ इण्डिया, जेद्दा मरहूम के घर वालों को हज ख़त्म

हो जाने पर भेज देगा। हाजी की मौत होने पर उसके क़रीबी रिश्तेदार/ क़ानूनी हक़दार की रज़ामंदी के बाद ही तजहीज़ व तकफ़ीन की जाती है। आज़मीन-ए-हज नुमायाँ तौर पर अपने क़रीबी रिश्तेदार, क़ानूनी हक़दार का मोबाइल नंबर हज दरख़्वास्त फ़ॉर्म में दर्ज करें।

9. ख़ादिमुल-हुज्जाज: हिंदुस्तानी आज़मीन-ए-हज की सफ़र के दौरान मदद फ़राहम करने के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय विभिन्न राज्यों/ केन्द्र शासित इलाक़ों से ख़ादिमुल-हुज्जाज का चुनाव करके सऊदी अरब भेजती है। यह ख़ादिमुल-हुज्जाज सरकारी मुलाज़िम होते हैं।

10. आब-ए-ज़मज़म: सऊदी अरब से वापसी के वक़्त कोई भी हाजी अपने साथ अलग से ज़मज़म केन/ प्लास्टिक केन चेक-इन बैग या केबिन बैग में न लाएँ। सऊदी अरब ऐसी सभी चीज़ें ज़ब्त कर लेंगे जिसमें

ज़मज़म या कोई भी मना की गई चीज़ मौजूद होंगी। वतन वापसी पर एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले तमाम हुज्जाज-ए-किराम को एयरलाइंस 5 लीटर ज़मज़म का केन फ़राहम करेगी।

11. क़ुर्बानी: इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) वह वाहिद इदारा है जिसे सऊदी हुकूमत ने आज़मीन-ए-हज के लिए क़ुर्बानी का इख़्तियार दिया है। हुज्जाज-ए-किराम को क़ुर्बानी के नाम पर धोखेबाजों के झांसे में नहीं आना चाहिए। इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक (IDB) के ज़रिए Adahi का इंतिज़ाम हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के ज़रिए उन कवरों के लिए किया जाता है जो इसका इंतिख़ाब करते हैं। (एक कवर के सभी आज़मीन को एक साथ इंतिख़ाब करना होगा।) एक बार इस्तेमाल करने का इख़्तियार मन्सूख़ नहीं किया जाएगा।

12. क़ानूनी हैसियत:

• हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया बिना किसी मुआवज़ा या मुनाफ़ा के हुज्जाज-ए-किराम के लिए अपनी ख़िदमात देती है। हुज्जाज से जो रक़म वसूल की जाती है वह एजेंसियों की जानिब से मुहैया की जाने वाली सहूलियात के बदले में उन एजेंसियों को अदा करनी होती है। आज़मीन-ए-हज यह नोट कर लें कि वह फ़राहम की गई ख़िदमात में कमी या किसी ऐसी भूल की वजह से जो हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया के इख़्तियारात से बाहर हो, किसी क़ानून के तहत कोई हर्जाना तलब नहीं कर सकते।

• **अदालती कार्यवाही:** मोहकमा-ए-डाक (डाक विभाग) की कोताही, डाक ख़ाने से ख़त देरी से पहुँचने, ख़त डाक में ग़ायब हो जाने, किसी ख़त के ग़लत जगह पहुँचने के नताइज के सिलसिले में हज

कमेटी ऑफ़ इण्डिया, मुंबई किसी भी सूरत में ज़िम्मेदार नहीं होगी। कोई तनाज़िआ (विवाद, झगड़ा) होने की सूरत में अदालती कार्यवाही का हक़ सिर्फ़ बॉम्बे हाईकोर्ट को ही होगा।

13. मम्नूआ अशिया और दीगर पाबंदियाँ:

1. किसी भी क़िस्म की आतिशगीर अशिया (ज्वलनशील पदार्थ) जैसे मिट्टी का तेल, पेट्रोल और स्टोव जैसी चीज़ें किसी भी शक्ल में अपने साथ न ले जाएँ। अगर कोई आज़िम किसी भी तरह की मम्नूआ अशिया के साथ पाया गया तो उसे सऊदी क़ानून के मुताबिक़ सख़्त सज़ा दी जाएगी।

2. ख़शख़ाश, वायगरा गोली (Viagra Tablet), जिंसी तेल या क्रीम, सेस्टोन, ख़मीरा, गुटका, खैनी, गुल या कोई भी नशीली चीज़ किसी भी शक्ल में ले

जाने की सख़्त मनाही है। तमाम हुज्जाज-ए-किराम को चेतावनी दी जाती है कि ऐसी मना की गई चीज़ें ले जाने वाले आज़िम को हज पर जाने से रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ मना किए गए सामान ले जाने के जुर्म में सख़्त तरीन जुर्माना भी लगाया जाएगा और लोगों को सऊदी अरब से फ़ौरन हिंदुस्तान भेज दिया जाएगा और संबंधित एजेंसियों के ज़रिए ऐसे आज़िम-ए-हज के ख़िलाफ़ ज़रूरी कार्यवाही भी की जाएगी।

3. सऊदी अरब पहुँचने के वक़्त अपने साथ किसी भी क़िस्म का सियासी लिटरेचर, पुस्तक, मैगज़ीन, गंदी तस्वीर या इस तरह के कोई भी जिंसी सामान लाने पर मुकम्मल पाबंदी है। सऊदी हुकूमत ने चेतावनी दी है कि इन हिदायात की ख़िलाफ़-वर्ज़ी (उल्लंघन) करने वाले लोगों को सख़्त से सख़्त सज़ा दी जाएगी।

4. सऊदी अरब की हुकूमत ने खाने की चीज़ें, पकी हुई या कच्ची हालत में अपने देश में लाने पर पाबंदी लगा दी है। इसलिए तेल, घी, अचार, चटनी, मछली, मिठाईयाँ, सब्ज़ियाँ, फ़ल या इन जैसी दूसरी चीज़ें वग़ैरा अपने सामान के साथ या किसी दूसरे तरीक़े से सऊदी अरब ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। जेद्दा, मदीना या हिंदुस्तानी एयरपोर्ट पर कस्टम के अधिकारी ऐसी चीज़ें ज़ब्त कर लेंगे और आज़मीन को तकालीफ़ का सामना करना होगा। इसलिए आज़मीन-ए-हज को यह सख़्त मशवरा दिया जाता है कि हज के लिए रवाना होते वक़्त वह खाने-पीने की कच्ची या पक्की चीज़ें लेकर न जाएँ।

5. हुज्जाज-ए-किराम अपने साथ गैस, कूकर, सिलेंडर या मिट्टी के तेल का स्टोव या कोई और आतिशगीर अशिया (ज्वलनशील पदार्थ) न ले जाएँ

क्योंकि मिना में आतिशगीर अशिया (ज्वलनशील पदार्थ) ले जाने की सख़्त मनाही है।

6. सऊदी अरब में तिजारत के लिए ज़्यादा तादाद में ख़रीद व फ़रोख़्त किए जाने वाले सामान ले जाने पर भी पाबंदी है। अगर इस वजह से कोई अपनी परवाज़ से रोका जाता है तो इसके लिए वह ख़ुद ज़िम्मेदार होगा/होगी और ऐसे आज़िम के सफ़र के सारे अख़राजात भी ज़ब्त कर लिए जाएँगे।

7. हज कमेटी ऑफ़ इण्डिया से हाजियों की शक्ल में जाने वाले गदागरों (भिकारियों) पर सख़्त पाबंदी है। उनके ख़िलाफ़ मौजूदा क़वानीन के तहत सख़्त कार्यवाही होगी। साथ ही हज के सफ़र को मन्सूख़ (कैंसिल) कर दिया जाएगा और उसको हिरासत में ले लिया जाएगा और जमा की गई रक़म ज़ब्त कर ली जाएगी।

8. सऊदी कस्टम के क़ानून के तहत एक ही ख़ानदान के अफ़राद को 60,000/- सऊदी रियाल के बराबर या उससे ज़्यादा की नक़दी या क़ीमती चीज़ ले जाने पर उसका कस्टम अधिकारी (हवाई अड्डे) को इज़्हार करना करना पड़ेगा।

14. इंतिबाह (चेतावनी):

1) तमाम आज़मीन-ए-हज को सऊदी हुकूमत की तरफ़ से अपनी हिफ़ाज़त के साथ-साथ साथी आज़मीन की हिफ़ाज़त के लिए बताई गई हिदायात और उसूलों की सख़्ती से पाबंदी करनी होगी।

2) सऊदी अरब के सिक्योरिटी अहलकारों (कर्मचारियों), हरमैन शरीफ़ैन के मुहाफ़िज़ों, पुलिस अहलकारों, मक़ामी इदारों के ओहदेदारों/ नुमाइंदों, मोअल्लिम के अमले, इमारत के हारिस (गार्ड),

अफ़सरों, अहलकारों, डॉक्टरों, नर्सों, एम्बुलेंस के ड्राईवरों और अमले के साथ किसी क़िस्म की बहस/झगड़े ना करें।

3) सऊदी अरब में क़ियाम के दौरान किसी भी तरह की ग़लत हरकत करते पाए जाने पर सख़्त कार्यवाही की जाएगी जिनमें जुर्माने और अन्य क़ानूनी कार्यावाही के साथ फ़ौरन हिंदुस्तान वापसी भी शामिल है।

शेख़ सादी का क़ौल

• तमाम इंसान एक दूसरे का अंग हैं जिनको एक ही जौहर से पैदा किया गया है। अगर इंसान के जिस्म के किसी एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो दूसरा हिस्सा सुकून से नहीं रह सकता। अगर आप दूसरे इंसानों की तकलीफ़ में दुखी नहीं होते हैं तो आप इंसान कहलाने के हक़दार नहीं हैं।

• मैं पूरी ज़िंदगी दो बंदों को तलाश करने पर भी तलाश न कर सका। एक वह जिसने अल्लाह के नाम पर दिया हो और ग़रीब हो गया हो। दूसरा वह जिसने ज़ुल्म किया हो और अल्लाह की पकड़ से बच गया हो।

नज़्म व ज़ब्त (प्रबंधन)

ग़ुलाम मुहीउद्दीन बट

हज कमेटी के गाइडलाइंस पर अमल करते वक़्त हमारे हिंदुस्तान के कुछ हाजियों में discipline की कमी पाई जाती है जिससे दूसरों के हज की ख़राबी का सबब बनते हैं। ज़्यादातर लोग शुरू से ही चीज़ों की ख़रीदारी में अपना क़ीमती वक़्त बर्बाद कर देते हैं।

हज के बाद नाशुक्री करना: बहुत सारे हाजी साहिबान अपने सफ़र के आख़िरी दिनों में नाशुक्री का इज़हार करते हैं कि मिना, अराफ़ात में खाना नहीं मिला, पानी नहीं मिला और सहूलत नहीं मिलने पर नाशुक्री करते हैं और डयूटी अमले को पैसे वापस देने

पर तंग करते हैं। इस अमल से वह अपने हज को ख़राब करते हैं जिससे हमें परहेज़ करना चाहिए।

हज के दौरान ग़ैर ज़रूरी बातों पर लड़ना: बहुत सारे हाजी आपस में छोटी-छोटी चीज़ों जैसे नमाज़ में कसर करना पर लड़ते रहते हैं और इसमें मुख़्तलिफ़ सोच के उल्मा शामिल होते हैं और एक दूसरे को काफ़िर तक कह जाते हैं। ऐसी ग़ैर ज़रूरी बातों से परहेज़ करना चाहिए।

डयूटी अमले के साथ अच्छा सुलूक करना: बहुत सारे हाजी साहिबान डयूटी अमले के साथ लड़ते रहते हैं। ऐसी छोटी चीज़ें जैसे कभी लिफ़्ट ख़राब होने पर, मियाँ बीवी को अलग कमरा न मिलने पर, खाना वक़्त पर न मिलने पर, और अकसर उन पर यह ताना मारते हैं कि यह लोग उन्हीं के ख़र्च पर आते हैं। ऐसे

हाजी अपना हज बर्बाद करते हैं। इस मामले में भी एहतियात ज़रूरी है।

ज़रूरी एहतियात

ज़ायरीन-ए-हज पिछले बरसों की सख़्त धूप और गर्मी की वजह से होने वाली अमवात को देखते हुए इस साल इनसे बचाव का ख़ास ख़्या रखें और हज कमेटी के अमले के मशवरों पर ख़ासतौर से अमल करें ताकि किसी भी अनहोनी से महफ़ूज़ रह सकें।

ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन के क़ियाम से लेकर अब तक मुल्क की मुख़्तलिफ़ इल्मी, दीनी, फ़िक्री और समाजी शख़्सियात ने ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन के काम की तारीफ़ की है और हमें आगे बढ़ने के लिए मोटीवेट किया है। इन्हीं शख़्सियात में से एक शख़्सियत जनाब अजीत डोभाल साहब भी हैं जिन्होंने 2023 में सऊदी अरब से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान-ए-ख़ुसूसी और वर्ल्ड मुस्लिम लीग के सेक्रेट्री जनरल डॉ. शेख़ अल-ईसा के साथ इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में हमारे इजलास को ख़िताब करते हुए ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन के काम और हिंदुस्तानी मुसलमानों के किरदार को सराहा था और हमें मज़ीद आगे काम करने का हौसला दिया था। हम उनके इस जज़्बे को सलाम करते हैं। हमें डोभाल साहब के मुल्क के

नौजवानों को देश की तामीर में बुनियादी किरदार अदा करने के लिए मोटीवेट करने के जज़्बे ने ख़ास तौर पर मतअस्सिर किया है।

हम ख़ास तौर पर फ़ाउण्डेशन फ़ॉर प्लुरलिस्टिक रिसर्च ऐंड एम्पावरमेंट (FPRE) के शुक्रगुज़ार हैं कि जिन्होंने हमें हमेशा तआवुन पेश किया और साथ ही साथ सेंट्रल हज कमेटी ऑफ़ इंडिया के जिनकी वेबसाइट से इस किताब कि हज गाइडलाइंस में हमने इस्तिफ़ादा किया।

क़लमकारों के लिए ख़ुशख़बरी

ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन मुख़्तलिफ़ इल्मी उन्वानात, इंसानियत और हिंदुस्तानियत को जोड़े रखने वाले मसाइल, तालीम, क़ौमी सलामती और इंसानियत की बक़ा जैसे मौज़ूआत पर मुन्फ़रिद लिटरेचर शाए करता है और इसको मुल्क की मुख़्तलिफ़ लाइब्रेरीज़, यूनिवर्सिटीज़ और मदारिस में भेजता है। अगर आप भी हमारे मक़ासिद के मुताबिक़ कोई किताब लिखना चाहते हैं तो हमारी

वेबसाइट:khusrofoundation.org

ईमेल:khusrofoundation.del@gmail.com

और वॉट्सऐप नंबर:93184-31341

पर हम से राब्ता क़ायम करें।

हम न सिर्फ़ आपकी किताब को छाप सकते हैं बल्कि हम अपने क़लमकारों की ख़िदमत में एक मुख़्तसर इकरामिया भी पेश करते हैं।

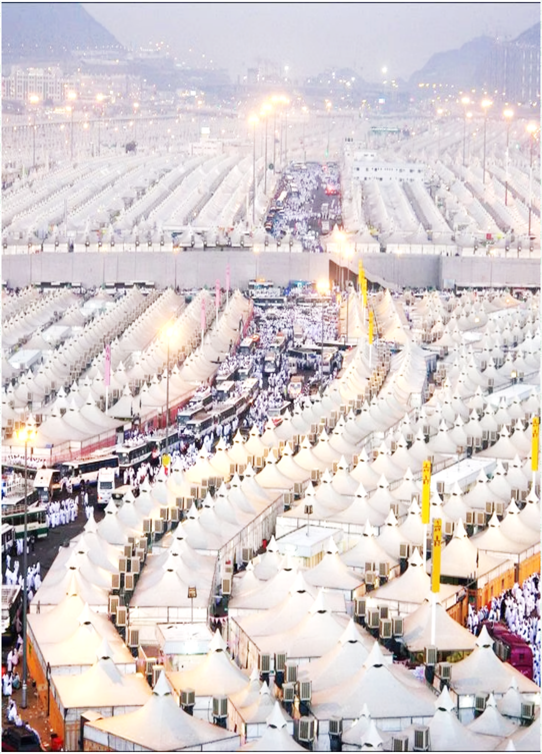

AWAZ
द वॉयस

4 Years of Inclusive Journalism

नकारात्मकता के खिलाफ एक सकारात्मक पत्रकारिता

आवाज- द वॉयस

भाईचारे, प्रेम, मानवता, सद्भाव और देशभक्ति की पत्रकारिता

पढ़िए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, असमिया, मराठी और अरबी में

ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन
एक नई पहल

हिंदुस्तान जन्नत निशान, जो मज़हबी, भाषायी एवं सांस्कृतिक विविधताओं का देश है और 'अनेकता में एकता' से जिसकी पहचान होती है। इस महान देश का इतिहास मानव-प्रेम की मिसालों से भरा पड़ा है। जिसमें शक्ति और शान्ति भक्तों के गीतों का नतीजा है और हिंदुस्तान हमेशा इस बात का गवाह रहा है कि धरती के बासियों की मुक्ती प्रीत में है।

ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन देशभक्ति, मानव प्रेम तथा प्रकृति से निकटता को अपनाने और सभी प्रकार के भेदभाव और नफ़रत से ऊपर उठकर मुहब्बत को आम करना चाहती है। जिसको शैख़ इब्राहीम ज़ौक़ ने यूँ बयान किया है:

गुल्हाए-रंगा-रंग से है ज़ीनत-ए-चमन
ऐ 'ज़ौक़' इस जहाँ को है ज़ेब इख्तेलाफ़ से

ख़ुसरो फ़ाउण्डेशन
D-319, Defence Colony, New Delhi 110024
email:khusrofoundation.del@gmail.com
+91 9318431341 www.khusrofoundation.org

ISBN: 978-81-97158-52-0

@Khusrofounda @Khusrofoundation @Khusro_foundation